

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2006

संख्या वैब 8/ ह0अ0 06 /2003/ धा0 59/ 2006.- संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़, द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ख में, क्रम संख्या 59 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:-

1 2

"60 (1)तम्बुओं, (2)कम्बलों,(3)पट्टियों, काटन, एन्टीसेप्टिक तथा दवाईयों (4) नष्ट न होने वाली खाद्य मर्दें (5)ऊँनी कपड़े मर्दें (6)माचीसें तथा मोमबत्तियां (7) आरोग्य सामग्री जैसे कि सैनेटरी नैपकिनज, कंघी, शैम्पू इत्यादि तथा (8) बैड शीट्स को जब भूकम्प की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 8.10.2006 तक जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा जारी ऐसे माल की सुपुर्दगी की पावती रसीद के प्रस्तुतीकरण के अध्यक्षीन जम्मू तथा कश्मीर के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय उद्योग संघ (कान्फ़ैडरेशन आफ इण्डियन इन्डसट्रीज) को बेचा जाएे । "।

एल.एस.एम. सालिन्स,  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

The 16 March, 2006

**No. Web 8/H.A.6/2003/S.59/2006.-** The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule B appended to the said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official website [www.haryanatax.com](http://www.haryanatax.com) together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified:-

**Draft Amendment**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule B, after serial number 59 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2
“60.	(1) Tents, (2) Blankets, (3) Bandages, Plaster, Cotton, Antiseptics and Medicines, (4) Non-perishable food items, (5) Woollen clothing items (6) Matchboxes and Candles, (7) Hygiene materials like sanitary napkins, combs, shampoos, etc. and (8) Bed sheets when sold to Confederation of Indian Industries for the help of earthquake victims of Jammu and Kashmir subject to production of receipt acknowledging the delivery of such goods issued by the Government of Jammu and Kashmir for a period of one year from the date of quake i.e. upto 8.10.2006.”.

L.S.M. SALINS,  
Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department